



प्रशान्त कुमार, IPS  
पुलिस महानिदेशक एवं  
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

सिग्नेचर बिल्डिंग  
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,  
लखनऊ - 226002

फोन नं. 0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं. 0522-2724009

सीयूजी नं. 9454400101

ई-मेल : police.up@nic.in

वेबसाईट : <https://uppolice.gov.in>

दिनांक: मार्च 21, 2025

विषय: क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-2956/2025 जय प्रकाश बिन्दु उर्फ नेता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.03.2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत

1. डीजी परिपत्र सं०-04/2024 दि० 19.01.2024
2. पत्र सं. डीजी सात एस 14(15)/2023 दि० 02.01.24
3. शासनादेश सं. 40/78/७: पु०-9-2024 दि. 23.09.24
4. शासनादेश सं. 4619/७: पु०-9-2024-1867437 दि. 02.12.24
5. पत्र सं. डीजी सात-एस-14 (09)/2021 दि० 25.04.22
6. पत्र सं. डीजी-सात-एस-14 (09)/2021 दि० 01.06.22
7. डीजी परिपत्र सं०-40/2022 दि० 09.12.2022

अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान त्रुटिहीन गैंगचार्ट तैयार करने तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु शासन स्तर से तथा इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वकिंत बॉक्स में अंकित शासनादेश, डीजी परिपत्र तथा पत्र

पूर्व में निर्गत किए गए हैं किन्तु कमिश्नर/जनपद स्तर पर इन निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के अनेक दृष्टांत संज्ञान में आये हैं।

2- क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या-2956/2025 जयप्रकाश बिन्दु बनाम उ०प्र० राज्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.03.2025 में मा० उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के नियम-5 व नियम-18 का अनुपालन न करने तथा नियमावली में निर्धारित प्रारूप में गैंगचार्ट तैयार न करने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत निर्देशित किया गया है

8. In view of the above, the columns of a Gang Chart must be prepared by concerned Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector in the manner as given in Form No.1 as per Rule 18 of Rules, 2021.

9. Form No.1, both in Hindi and English has been reproduced above for perusal of all the District Magistrates, Commissioners of Police, Senior Superintendent of Police and Superintendent of Police in the State of U.P. as well as the concerned Incharge of Police Station/Station House Officer/Inspector and it is expected from them that while preparing a Gang Chart, they shall strictly adhere to the provisions of Rule 5, Rule 18 and Form No.1 of Rules, 2021, which are mentioned above so that it may be obvious at the first instance as to how many cases are pending against the accused persons, on the basis of which, an F.I.R. has been registered under the Gangster Act.

10. Several directions have already been given by this Court on the preparation of a Gang Chart, but still it is found that in many cases, the Gang Charts which are annexed are prepared without following the manner prescribed in Rule 5, Rule 18 and Form No.1 of Rules, 2021.

11. The Secretary (Home), Government of U.P. and the Director General of Police, Uttar Pradesh are directed to ensure that every Gang Chart must be prepared as per the provisions of Rules, 2021.

12. The Registrar (Compliance) of this Court is directed to send a copy of this order to Secretary (Home), Government of U.P. and the Director General of Police, Uttar Pradesh, for compliance.

13. A copy of this order shall also be provided to the learned Government Advocate who shall also communicate this order, at his level, to the Secretary (Home), Government of U.P., and the Director General of Police, Uttar Pradesh as well as all the District Magistrates, Commissioners of Police, Senior Superintendents of Police and Superintendents of Police in the State of U.P. for preparation of the Gang Chart as per the provisions of Rules, 2021 mentioned herein above.

3- उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के समस्त प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना आज्ञापक है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाहियों में प्रारम्भिक स्तर पर होने वाली प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण मा० उच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाले शासकीय अधिवक्ता / अपर शासकीय अधिवक्ता की स्थिति असहज होती है तथा उनके द्वारा राज्य का पक्ष सशक्त रूप से रखना सम्भव नहीं हो पाता, जिसका लाभ अंततः अभियुक्तों को ही मिलता है।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रत्येक गैंगचार्ट, नियमावली 2021 के प्राविधानों के अनुसार तैयार किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों / विवेचकों को विस्तृत रूप से अवगत करायें तथा भविष्य में गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाहियों में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 में दी गयी व्यवस्था तथा इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही कराते हुये पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी दायित्व निर्धारण किया जायेगा।  
संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय

21.3.25  
(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद / रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।